E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fax 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– / 12–1 दिनांक, पौड़ी, अप्रैल 25 ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– जनपद चमोली में परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13.00 से ग्राम कुश से कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.753 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/195/2015/एफ0सी0/893 दिनॉक 07.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3542/12–1 दिनॉक 10.03.2022 से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से चाही गई 2 बिन्दुओं की सूचना निम्नप्रकार प्रेषित हैः–

बिन्दु सं0	प्रश्न	उत्तर
1	As per the directions given in guideline 2.4 (i), State Government is required to notify the CA area (Civil Land) as Reserve Forest/Protected Forest prior to Stage-II Approval.	भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 01 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु म्यूटेशन की गयी 3.506 है0 डांगतोली सिविल सोयम भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	It is seen that the CA estimate of Rs. 20,49,416/- has been submitted but amount of Rs. 8,88,147/- is found deposited in CAMPA fund. State Government may submit clarification in this regard and do the needful.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव में रू0 20,49,416.00 का प्राक्कलन संलग्न है, प्राक्कलन में मदो में दर की धनराशि में टंकण त्रुटिवश गलत अंकित होने के कारण प्राक्कलन की धनराशि में बढोत्तरी हो गयी परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उपरान्त प्रस्तावक विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दरों से कुल रू0 8,88,147.00 की धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा करायी गई, जमा की गई धनराशि का प्राक्कलन संलग्न है। (संलग्नक–2)

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि 3 प्रतियों में।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

पंजी. सं. 7522
फ.सं. 12-1
दिनांक 5/5/2022

प्राविधिक
आ0 का0-करें

पत्रांक 2445 /12-1 दिनॉक

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

JAIDEEP

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 3542 / 12-1. दिनांक, गोपेश्वर, 10/03 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः– जनपद चमोली में परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13.00 से ग्राम कुश से कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.753 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में दो बिन्दुओ में सूचना चाही गयी है, वांछित सूचना का बिन्दुवार विवरण निम्ननानुसार प्रेषित है:–

बिन्दु सं0 1– भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 01 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु म्यूटेशन की गयी 3.506 है0 डांगतोली सिविल सोयम भूमि को आरक्षित /संरक्षित वन घोषित प्रमाण पत्र तीन–तीन प्रतियो में संलग्न की जा रही है।

बिन्दु सं0 02– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव में रू0 20,49,416.00 का प्राक्कलन संलग्न है, प्राक्कलन में मदो में दर की धनराशि में टंकण की त्रुटिवश गलत अंकित होने के कारण प्राक्कलन की धनराशि में बढ़ोत्तरी हो गयी। परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उपरान्त प्रस्तावक विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दरो से कुल रू0 8,88,147.00 की धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा करायी गई, जमा की गई धनराशि का प्राक्कलन तीन–तीन प्रतियों में संलग्न की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 3542 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

6/C

Scanned with CamScanner

834/36 (ii) 7/8/17

सहा० कानि० प्रबंधक

(2)

— आदेश —

जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 13 से ग्राम कुश व कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.753 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.506 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 195 / 2015 / एफ0सी0 / 309 दिनांक 12.05.2016 की शर्त सं0 1 के अनुसार उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 13 से ग्राम कुश व कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.753 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम डांगतोली प0वृ0 हरमनी, तहसील नारायण बगड़ की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–10 के खसरा सं0–94 रकबा 4.775 है0 भूमि मध्ये 3.506 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173 / XVIII(II) / 2012–18 (120) / 2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित सहायक ... प्रतिलिपि सहायक अभिलेख नारायण बगड़ / ... को ... हेतु प्रेषित

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

R- 834/36C
1-8-017

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः ..... / छब्बीस–46 (2016–2017) गोपेश्वरः दिनांकः 26 जुलाई, 2017

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, थराली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 थराली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल—केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 के ग्राम कुश व कुशमहादेव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.753 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

क्र0सं0	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1.	सिविल सोयम भूमि ~~उदयपुर~~	3.506
	योग	3.506

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना

क्र0 सं0	रोपित प्रजातियां	संख्या
1.	बाजं, अंगू, देवदार, आंवला, सेमला, भीमल, कचार, बांस, कचनार, इत्यादि	3857
	रोपित कुल पौध	3857

प्रथम चरण

क्र0 सं0	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति रु0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	3.506	है0	168.00	589.01
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	3.506	है0	1682.00	5897.09
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	3.506	है0	48000.00	168288.00
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति गडडा 25 ग्राम)	3857	गडढे	11.00	42427.00
5	कन्टूर नाली रेखंकन	824	र0मी0	1.30	1071.20
6	कन्टूर नाली खेदना	824	र0मी0	92.00	75808.00
7	पाधौं की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	3857	पौधे	10.00	38570.00
8	घास लगाने पर व्यय	3.506	है0	2400.00	8414.40
9	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	3.506	है0	1350.00	4733.10
10	साइन बोर्ड एवं फोटो ग्राफ	ल0सं0	ल0सं0		10100.00
	योग— प्रथम चरणः—				355897.80
	द्वितीय वर्ष				
1	गडढे भरान कार्य	3857	सं0	2.00	7714.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	3857	सं0	3.00	11571.00
3	पौध ढुलान कार्य	3857	सं0	13.00	50141.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	3857	सं0	4.00	15428.00
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई	3857	सं0	2.75	10606.75
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	3857	सं0	2.40	9256.80
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख—रेख पर व्यय 7 माह	3.506	प्रति है0/माह	1000.00	24542.00
8	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	3.506	है0	1682.00	5897.09
9	अन्य व्यय बोर्ड क्रय कर लगाना, कण्डी,रस्सी आदि।	3.506	है0	1500.00	5259.00
10	कन्टूरनालीयो में हयूमस, कीटनाशक डालान व बीज बोना	3.506	ल0सं0	300.00	1051.80
11	अन्य व्यय बोर्ड क्रय कर लगाना, कण्डी,रस्सी आदि।	3.506	है0	1500.00	5259.00
12	राम बांस के बल्ब ऐकत्रित करना तथा लगाना	1000.000	प्रति0 सै0	500.00	5000.00
13	रिंगाल के राईजोम एकत्रित करना तथा ढुलान करना	1500.000	प्रति0 सै0	502.00	7530.00
	योग— द्वितीय चरणः—				159256.44
	तृतीय वर्ष				
1	पौध की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	386	पौधे	13.00	5014.10
2	पौध की ढुलान एवं रोपण कार्य	386	पौधे	20.00	7714.00
3	पुनः गढ्ढा खोदना	386	पौधे	11.00	4242.70
4	गढ्ढों मे गोबर खाद डालना लागत सहित	5.000	कु0	285.00	1425.00
5	पौधों की शीतकालीन निराई,गुडाई, मल्चिंग तथा खाद मिलाना	0	पौधे	0.00	0.00
6	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.506	प्रति है0/माह	1000.00	42072.00
7	गणना, फोटोग्राफी, अभिलेखीकरण व अन्य व्यय आदि।	3.506	ha	350.00	1227.10
	योग तृतीय चरणः—				61694.90

Scanned with CamScanner

	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	3.506	प्रति है0 / माह	1000.00	42072.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य		ल0सं0		2400.00
	योग चतुर्थ चरण:–				**44472.00**
	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	3.506	प्रति है0 / माह	1000.00	42072.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य		ल0सं0		2400.00
					44472.00
	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	3.506	प्रति है0 / माह	1000.00	42072.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य		ल0सं0		2400.00
	योग छठा चरण:–				**44472.00**
	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	3.506	प्रति है0 / माह	1000.00	42072.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य		ल0सं0		2400.00
	योग सातवां चरण:–				**44472.00**
	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	3.506	प्रति है0 / माह	1000.00	42072.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य		ल0सं0		2400.00
	योग आठवां चरण:–				**44472.00**
	नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	3.506	प्रति है0 / माह	1000.00	42072.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य		ल0सं0		2400.00
	योग नौवां चरण:–				**44472.00**
	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	3.506	प्रति है0 / माह	1000.00	42072.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य		ल0सं0		2400.00
	योग दसवां चरण:–				**44472.00**

5– कुल व्यय सारास प्रति है0 व कुल व्यय

क्र0 सं0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
		355897.80
1	प्रथम वर्ष	159256.44
2	द्वितीय वर्ष	61694.90
3	तृतीय वर्ष	44472.00
4	चतुर्थ वर्ष	44472.00
5	पचम वर्ष	44472.00
6	षष्टम वर्ष	44472.00
7	सप्तम वर्ष	44472.00
8	आठवा वर्ष	44472.00
9	नवम वर्ष	44472.00
10	दसम वर्ष कुल रूपये	**888153.14**
	या देय कुल धनराशि	**888147.00**

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Checked ... 8,88,147/-

Scanned with CamScanner

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/10617/2015 जनपद चमोली में परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 से ग्राम कुश व कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.753 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम डांगतोली प0वृ0 हरमनी, तहसील नारायबगड़ की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–10 के खसरा न0 94 में 3.506 है0 भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन /अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक 4570/छब्बीस–46(2016–2017) दिनांक 26.07.2017 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज करा दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अधिसूचना सं0 869–F/639 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800(!!)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नही है।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पौड़ी जनवरी, 2022।

पत्रांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण वन एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, 25,सुभाष रोड़, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– प्रमुख वन संरक्षक(HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण निदेशालय, देहरादून।
5– मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6– सम्बन्धित जिलाधिकारी,
7– गार्ड बुक।

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

Scanned with CamScanner